मंदिर प्रबंधन को धमकाने का मामला : गैंगस्टर शिवराज सिंह सहित आठ आरोपी भारी सुरक्षा में कोर्ट में पेश

कोटा, (निसं)। बड़े महाप्रभुजी मंदिर के प्रबंधक को धमकाने के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर शिवराज सिंह सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जहां से अदालत ने इन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा।

इस मामले में पुलिस सबको अलग-अलग बिठाकर पूछताछ करेगी। कोर्ट में पेशी के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। आरोपियों को कैथूनीपोल थाने में रखा गया है। वहां भी भारी जाप्ता तैनात था। क्यूआरटी फोर्स, कमांडो अन्य पुलिस टीम भी वहां पर मौजूद थी। दूसरी तरफ इस मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह ने न्यायालय में पत्रकारों से बातचीत में शहर के एक बड़े बिल्डर पर आरोप लगाया और कहा कि यह पूरा घटनाक्रम उसी के इशारे पर ही हो रहा है। कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बताया कि गैंगस्टर शिवराज सिंह, हरविंदर सिंह, अरविंद सिंह, रंजीत, जगवीर, महेंद्र पुरी, अनूप मेहरा और शिव पंवार को गिरफ्तार किया है। इन सभी को न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस उप-अधीक्षक तृतीय राजेश टेलर का कहना था कि रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जाएगी कि गैंगस्टर शिवराज सिंह और उनकी पूरी टीम इस मामले में क्या करने वाली थी। पूछताछ पूरी होने के बाद 9 मई को उन्हें दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि अर्जुनपुर और नया नोहरा की बेशकीमती जमीन के संबंध गैंगस्टर शिवराज सिंह ने शहर के पाटनपोल स्थित बड़े महाप्रभु मंदिर के प्रबंधक विनय गोस्वामी को धमकाया था। गैंगस्टर शिवराज सिंह व उसके साथी बंदूक लेकर मंदिर में प्रवेश कर गए थे। करीब 4 घंटे तक विनय गोस्वामी को धमकाया था। इसमें अर्जुनपुरा की 13 और नया नोहरा की 52 बीघा जमीन के संबंध में जानकारी मांगी। साथ ही इन जमीनों के एग्रीमेंट खुद के नाम करवाने के लिए धमकाया। विनय गोस्वामी का कहना था कि यह जमीन किसी और के नाम चढ़ गई है। इस समय वे कुछ नहीं कर सकते। विनय कुमार की शिकायत के बाद ही कैथूनीपोल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोटा में गैंगस्टर शिवराज सिंह सहित 8 आरोपी भारी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया।

आम्बा कुई जल स्त्रोत पर लगातार पावर ट्रिपिंग व पावर फाल्ट की चल रही है समस्या

रामगंजमण्डी, (निसं)। एकलिंगपुरा घाटे आम्बा कुई जल श्रोत्र पर लगातार पॉवर ट्रिपिंग व पावर फाल्ट की समस्या चल रही है रात 1.15 एएम बजे से सवेरे 8.00 एएम तक पॉवर फाल्ट रहा। जिस कारण रात को भी वी.टी. पम्प नही चले व सोमवार दिनभर भी पॉवर सप्लाई में व्यवधान रहा। जिससे रामगंजमंडी व ग्रामीण क्षेत्र में पानी पर्याप्त दबाव से नही पहुंच पा रहा है। जिसके चलते जल सप्लाई में लगातार व्यवधान बना हुआ हैं, परियोजना पर पानी 50 किलोमीटर दूर से आता है व पानी पहुंचने में 3-4 घंटे लगते है। इस बीच अगर पॉवर ट्रिपिंग व सप्लाई बंद रहने से ग्रेविटी पाईप लाइन का प्रेशर नही बनने से उच्च जलाशय नही भर पाते है व बार बार हेवी वी.टी. पम्प को चालू बन्द करने से पाईप लाईन में लीकेज व अन्य ब्रेकडाउन की संभावना रहती है। उक्त जानकारी देते हुए बलभद्र शर्मा सहायक अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रामगंजमण्डी ने बताया कि इस संदर्भ में बार-बार अजमेर विद्युत वितरण निगम के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर निर्बाध रूप से पॉवर सप्लाई देने की मांग की जा रही हैं।

किशोर का बाल विवाह रुकवाया, बूंदी जानी थी बारात

- **किशोर के बाल-विवाह को रुकवाने की कार्यवाही की**
- **बालक के उम्र संबंधी शैक्षणिक दस्तावेज देखे जिसमें बालक 19 वर्ष का पाया गया**

कोटा, (निसं)। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सहित चाईल्ड हेल्पलाईन, सृष्टि सेवा समिति जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की टीम ने उद्योग नगर में संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 19 वर्षीय किशोर का बाल-विवाह रूकवाया।

संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि बालक की शादी बूंदी जिले में मंगलवार को होनी थी और बारात जाने की तैयार थी, टीम जब बालक के घर पर पहुंची तो अचानक से टीम को देखकर हड़कंप मच गया, इसके बाद टीम ने बालक के उम्र संबंधी शैक्षणिक दस्तावेज देखे जिसमें बालक 19 वर्ष का पाया गया जो की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के अयोग्य है जिस पर जिला प्रशासन की टीम ने बालक के परिजनों को बाल विवाह न करने को लेकर पाबंद किया।

इधर जहां बालक की शादी होनी थी उसको लेकर बूंदी चाईल्ड हेल्पलाइन को सूचित कर बालिका की उम्र की जानकारी ली गई तो बालिका भी 16 वर्ष की पाई गई जिस पर बूंदी चाईल्ड हेल्पलाइन द्वारा बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके अस्थाई आश्रय दिलवाया गया वहीं बालिका के परिजनों को प्रशासन की टीम ने पाबंद किया।

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीणा ने बताया कि बाल विवाह रुकवाने गई टीम में चाईल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कॉ-ऑर्डिनेटर नरेश मीणा, सृष्टि सेवा समिति के जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह, लाडपुरा तहसील से पटवारी शालिनी गुप्ता, संजय नामदेव कानूनगो, उद्योग नगर थाने से उप निरीक्षक मोहम्मद इब्राहिम उपस्थित रहे।

सार-समाचार

भाजपा नेता हनी मंत्री सिंधिया से मिले

कोटा, (निसं)। भाजपा नेता व महाराज माधवराव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट इंद्र मोहन सिंह हनी ने की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में भेंट की है। इंदर मोहन हनी ने बताया कि बीएसएनएल की 5जी लॉन्चिंग और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में पोस्ट विभाग व संचार विभाग व पूर्वोत्तर राज्यों का जो विकास हो रहा है उसके लिए बधाई दी है। हनी ने सिंधिया को राजस्थान में महाराज माधवराव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी व भारतीय जनता पार्टी में चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया।

पिस्टल के साथ फोटो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने अवैध हथियार देशी पिस्टल के साथ सोशल मिडिया पर फोटो वायरल करने के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि अपराधियों द्वारा अवैध फायर आर्म्स रखने एवं उपयोग करने तथा सोशल मिडिया पर फायर आर्म्स के फोटो वायरल करने की घटनाओ को देखते हुए मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि भीमगंजमंडी थाने के उप निरीक्षक राजकुमार को गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि डडवाडा निवासी राजपाल जादौन ने इंस्टाग्राम सोशल मिडिया एप पर अवैध हथियार देशी पिस्टल के साथ फोटो अप्लोड कर रखी है। इस प्रकार वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आमजन में भय पैदा कर रहा है। शहर एसपी ने बताया कि मुखबीर द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर इंस्टाग्राम सोशल एप को चैक किया गया तो आरोपी राजपाल जादौन द्वारा अवैध पिस्टल के साथ दो फोटो वायरल कर रखी है। मामले में जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर आमजन में भय पैदा किया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए डडवाडा निवासी राजपाल जादौन (21) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अवैध हथियार के संबंध में अनुसंधान जारी है।

सी.सी.आई. की सिल्वर जुबली मनाई

कोटा, (निसं)। कंज्यूमर कॉन्फ्डरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ज्योति गोड ने बताया कि भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, डीसीएम रोड, में सीसीआई के स्थापना दिवस के 25 वीं वर्षगांठ (सिल्वर जुबली) को सीसीआई, द्वारा छात्रावास में रह रहे छात्रों को उपभोक्ता संरक्षण के विषय में जानकारी दी और उपभोक्ताओं के हितों के प्रेरित करने के लिए शपथ दिलाई।मनोज सोनी ने बताया कि सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सीसीआई सिल्वर जुबली के अवसर पर केक कट कर सभी ने एक-दूसरे को में केक और मिठाई खिलाकर जोर शोर से मनाया और संकल्प लिया कि प्रत्येक सदस्य उपभोक्ताओं को जागरूक कर भ्रष्टाचार मुक्त और मिलावट मुक्त भारत बनायेंगे। इस अवसर पर छात्रावास के अध्यक्ष रामलाल टटवाडिया, नईम अली, मनोज सोनी, एडवोकेट ललित पिलाना,एडवोकेट जगदीश मीणा, एडवोकेट प्रमोद राठौड़, सुनीता सोनी, सुनीता गहलोत, पुष्पा सोनी, शबनम अंसारी, सितारा, महावीर, अनिल, अर्चना राजावत अखिल राजस्थान उपभोक्ता महासंघ के मनोज विजय आदि मौजूद थे।

स्कूल को पेडस्टल फैन भेंट किए

कोटा, (निसं)। इन दिनों प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कोटा सोशल वेलफेयर फोरम द्वारा मानवता और सेवा के भाव से एक सराहनीय कदम उठाया गया। संस्था की ओर से महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमगंजमंडी, कोटा जंक्शन में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दो पेडस्टल फैन (खड़े पंखे) भेंट किए गए। विद्यालय की प्रधानाचार्या कुसुमलता शर्मा ने इस सहयोगात्मक प्रयास के लिए संस्था के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सामाजिक सरोकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें विद्यार्थियों की सुविधा और शिक्षा में सहयोग प्रदान करती हैं। इस अवसर पर कोटा सोशल वेलफेयर फोरम की ओर से के.के.शर्मा, राम मदनानी, सुशील मेहता, कर्नल सुशील जैन, पी.सी. पवन, रमाकांत शर्मा, प्रदीप शर्मा, भगवत वर्मा, विनोद गुप्ता, महेश चतुर्वेदी, शशि भंडारी और पूर्णिमा मेहता उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थियों की ओर से इस नेक कार्य के लिए संस्था को धन्यवाद दिया गया। संस्था ने भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

9521 घरों का सर्वे किया

कोटा, (निसं)। कामयाब कोटा बनाना है, डेंगू को हराना है अभियान एवं मलेरिया क्रेश कार्यक्रम के तहत मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की 729 टीमों ने जिले में 9521 घरों का सर्वे कर लार्वारोधी व जागरूकता गतिविधियां की। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने बताया कि मौसमी बीमारिया डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम संबधी गतिविधियां जारी है। टीमों ने 17941 कंटेनरों जिनमें टंकी, कूलर, परिण्डे आदि अन्य की जांच की, इस दौरान लार्वा पाए 62 कंटेनरों को उपचारित किया, 1023 कंटेनरों को खाली कराया, 938 कंटेनरों में टेमीफोस व 659 स्थानों पर एमएलओ डाला, 194 कमरों में पायरेथ्रम का छिड़काव किया गया। इस दौरान 180 ब्लड स्लाईड भी ली गई। आमजन को बचाव-रोकथाम संबधी जागरूकता के पम्पलेट वितरित किए व पोस्टर व स्टीकर चस्पा किए।

अतिक्रमण हटाकर रास्ता बनवाया

रामगंजमण्डी, (निसं)। रास्ता खोलो अभियान में जल संसाधन विभाग द्वारा बांध बनने से डूब में आने से लोगों के खेतों का रास्ता बंद हो गया था। जल संसाधन विभाग के आवेदन पर तथा तहसीलदार रामगंजमण्डी नेहा वर्मा के निर्देश पर 06 मई मंगलवार को रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत बांध की अंतिम लाईन पर ग्राम तमोलिया में रास्ता बनाने के लिए अतिक्रमण हटाकर रास्ता बनवाया गया। इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार विनोद गौतम, भू-अभिलेख निरीक्षक रवि कुमार जैन,पटवारी हिमांशु भारती, जल संसाधन विभाग की तरफ से जे ई एन पिंकी शर्मा राहुल मीणा अतुल मीणा और सनी शामिल थे।

कोटा उत्तर निगम ने जेसीबी मशीनों से सफाई प्रारंभ करवाई

- **एक नाले को दो दिन में साफ करने का लक्ष्य**

कोटा, (निसं)। मानसून के आगमन से पूर्व कोटा उत्तर क्षेत्र के सभी नालों की सफाई के लिए नगर निगम अब टार्गेट आधारित कार्य कर रहा है। उत्तर निगम क्षेत्र के प्रत्येक बड़े नाले की सफाई दो दिन में करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत चार नालों की सफाई प्रारंभ करवा दी गई है। शेष नालों की सफाई के लिए भी डेट चार्ट बना लिया गया है।

नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को बारां रोड़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र और नया नोहरा के नाले, आकाशवाणी कॉलोनी स्थित नाले और सेवन वंडर्स पार्क रोड स्थित नाले की सफाई का कार्य जेसीबी से प्रारंभ करवा दिया गया है। संवेदक को लक्ष्य दिया गया है कि दो दिन में नाले को साफ करना है। कार्य की देखरेख के लिए क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता और स्वास्थ्य निरीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है।

कोटा उत्तर नगर निगम में बारिश से पूर्व नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया।

उन्होंने बताया कि 14 ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई चैन माउंटेड मशीन से की जानी है। चैन माउंटेड मशीन का टेंडर अंतिम चरण में है। टेंडर होते ही इन नालों की सफाई भी करवा दी जाएगी। इसी के साथ छोटे नालों को भी श्रमिकों और निगम के स्थायी कर्मचारियों के माध्यम से साफ करवाया जा रहा है। सफाई कार्य की प्रतिदिन अपडेट भी ली जा रही है।

मांस विक्रेताओं को चेतावनी, तीन दिन में समेटें काम:- नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने मंगलवार को नदीपार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मांस की दुकानों की जांच की। इनमें से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं मिला। त्यागी ने बताया कि मांस विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे दिन में अपना काम समेट लें अन्यथा उनकी दुकान को सीज कर सामान को जब्त कर लिया जाएगा।

दोहरे हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास

- **मां-बेटे की गोली मारकर की थी हत्या**

कोटा, (निसं)। दोहरे हत्याकांड के करीब 7 साल पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय (डीजे कोर्ट) ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ने मां और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी चंद्रकांत पाठक उर्फ दिलीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 60500 रूपये के अर्थ दंड के दंडित किया।

लोक अभियोजक मनोज पुरी ने बताया कि स्टेशन के चौपड़ा फार्म निवासी नीरज पाराशर ने 21 जनवरी 2018 को भीमगंजमंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा था कि 21 जनवरी 2018 की शाम 6.30 बजे करीब बाजार में सब्जी लेने के लिये सब्जीमंडी गया था, घर पर उसकी पत्नी सोहिनी पाराशर, बेटा पीयूष और बेटी मान्या थी। फरियादी ने कहा कि सब्जी खरीदने के बाद उसने जब अपनी पत्नी को फोन किया तो पत्नी ने फोन नही उठाया। जिसके बाद वह सीधे घर पर आया तो देखा कि कमरे के बाहर दरवाजे पर उसका बेटा पीयूष पाराशर खून से लथपथ पड़ा था, तथा बेड के पास फर्श पर उसकी पत्नी सोहिनी पाराशर खून से लथपथ पड़ी थी। महिला की कनपटी व बच्चे के सीने में गोली लगी थी। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को एमबीएस अस्पताल लेकर गये। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही के दौरान फरियादी से पूछताछ व सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि मध्यप्रदेश के मुरैना निवासी चन्द्रकांत पाठक का कोटा में आना होटल में ठहरना व घटना के बाद होटल छोड़कर चले जाना सामने आया। पुलिस अनुसंधान में मामले में सामने आया कि आरोपी चंद्रकांत पाठक उर्फ दिलीप व मृतका महिला सोहिनी एक ही जगह दत्तपुरा मुरैना मध्यप्रदेश के रहने वाले थे। जिनकी जान पहचान आपस में पूर्व मे ही थी, बाद में सोहिनी की शादी कोटा में नीरज पाराशर के साथ हो गई उसके बाद भी आरोपी चंद्रकांत पाठक ने महिला सोहिनी के साथ सम्पर्क बनाये रखे लेकिन बाद में मृतका महिला सोहिनी अपने पति व परिवार के साथ कोटा में रहने लगी, जो आरोपी चंद्रकांत पाठक को नागवार गुजरा और आरोपी चंद्रकांत पाठक ने 21 जनवरी 2018 को मौका पाकर सोहिनी पाराशर व उसके पुत्र पीयूष की गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने धारा 302, 450 व आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर मामले में कार्यवाही करते हुए 23 जनवरी 2018 को आरोपी चंद्रकांत पाठक उर्फ दिलीप को गिरफ्तार किया। मनोज पुरी ने बताया कि पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी चंद्रकांत पाठक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

साक्षरता शिविर का आयोजन

बूंदी (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा द्वारा "आसरा" वृद्धाश्रम एवं वात्सल्यधाम, सुदामा सेवा संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि इस शिविर में वृद्धजनों को भरण-पोषण अधिनियम व वृद्धजनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही वृद्धाश्रम में आवासरत वृद्धजनों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया गया।

नाम परिवर्तन
शादी से पूर्व मेरा नाम लवली कुमारी फेरवानी (LOVELY KUMARI FERWANI) था शादी के पश्चात् मैंने नाम परिवर्तन करके लवली भाटिया (LOVELY BHATIA) कर लिया है भविष्य में मुझे लवली भाटिया (LOVELY BHATIA) के नाम से जाना जायें
100-101, अग्रसेन नगर, बालाकुंड, कोटा

खोया पाया
मकान सं. 3 द 37 विज्ञान नगर के मूल दस्तावेज निरस्तीकरण, नियमितिकरण अदेय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की दोनों डीड कही गुम हो गए है, किसी को मिलने पर सूचित करें।

78वें दिन भी सीटू के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी

बकाया भुगतान को लेकर जेके फैक्ट्री के श्रमिकों का धरने जारी रहा।

कोटा, (निसं)। सीटू मिडिया प्रभारी मुरारीलाल ने जानकारी देते हुए बताया की मजदूर नेता कामरेड हबीब खान, कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्रसिंह के सयुक्त नेतृत्व मे जे के फैक्ट्री के 4200 मजदूरो को 27 साल से फैक्ट्री की तरफ शेष बकाया राशि ब्याज जोड़कर 500 करोड़ है जो सरकार मजदूरों नहीं बंटवा रही है ना ही मजदूरों के पक्ष मे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागु कर रही है। मजदूर नेताओं ने कहा जब तक सरकार मजदूरों के पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू जेके फैक्ट्री के 4200 मजदूरों 500 करोड़ का भुगतान नहीं करवा दे देती कोटा कलेक्ट्रेट पर जे के मजदूरो का धरना जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि धरने को 78 दिन हो चुके लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मजदूरों से नहीं मिला है। जिसको लेकर मजदूरों मे रोष व्याप्त है। 78वें दिन धरने को मजदूर नेता कामरेड हबीब खान, कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्र सिंह, कामरेड अशोकसिंह, मदन मोहन शर्मा कामरेड कालीचरण, कामरेड गोपाल शर्मा, कामरेड हनुमान सिंह गिरजाशंकर पांडे, रामभरोस ने सम्बोधित किया।

अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
नाम न्यायालय ADJ N. 4 KOTA
हरीश गेरा विरुद्ध अनिल दीपचन्दानी
अपील अपील
अपील नं. CRA-50 सन् 2025
सिविल न्याया. दक्षिण कोटा के न्यायालय की तारीख 18.3.25 की डिक्री की अपील
नाम पुरुषोत्तम पुत्र भगवान दास जाति सिन्धी निवासी म.नं. 1-बी बल्लभ नगर कोटा
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में आदेश की डिक्री की अपील अपीलान्ट द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता. 12 माह 5 सन् 25 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो वह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी।
यह आज तारीख 2 माह 5 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञानुसार
रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम-4 कोटा (राज.)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक : LU2012/KOT/2025-26/100963 **लोक सूचना** दिनांक : 06.05.2025

श्री ARVIND RATHOR पुत्र श्री RAM NIWAS RATHOR जाति TELI निवासी LAXMI NARAYAN MANDIR KE PASS NAYA BHADANA KOTA RAJASTHAN ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सोगरिया, लाडपुरा (कोटा)	JAGSEER KAUR W/O RANJEET SINGH HISSA PURN, JAATI JAT SIKH PUNAM COLONY GALI NO. 6 KOTA JN.	671/273	3700	0.37
				कुल	0.37

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06.05.2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी, कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़

क्रमांक : नपारा/भूमि/2025-26/370 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 01.05.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / नियमनधारी **श्री बलदेव खन्ना पिता श्री ठाकुर दास खन्ना निवासी रावतभाटा** के द्वारा गैर योजना क्षेत्र बाजार नं. 2, पूर्व वार्ड नं. 04, रावतभाटा में स्थित है, जिसका पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012-13 अन्तर्गत जीरो सेटबैक पर निर्मित आवासीय / व्यावसायिक भवन की भूमि का नियमन कर **भूखण्ड / भूखण्ड संख्या 328 का पट्टा क्रमांक 328 दिनांक 30.06.2014 से जारी कर पंजीयन दिनांक 16.09.2014** से करवाया गया है। जिसका आवासीय निर्मित क्षेत्रफल 1293.32 वर्गफीट अर्थात् 143.70 वर्गगज या 120.16 वर्गमीटर तथा व्यावसायिक निर्मित क्षेत्रफल 349.44 वर्गफीट अर्थात् 38.83 वर्गगज या 32.46 वर्गमीटर **इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1642.76 वर्गफीट अर्थात् 182.53 वर्गगज या 152.61 वर्गमीटर है।**

आवेदक / भूखण्डधारी द्वारा उपरोक्त निर्मित नियमनशुदा आवासीय / व्यावसायिक भूखण्ड को दो भागों में निम्नानुसार विभाजित कर उपविभाजन की स्वीकृति चाही गयी है।

विभाजित भाग	उपविभाजित भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल	चतुर्थ पड़ौस की स्थिति
प्रथम	328 (पार्ट-ए)	**आवासीय क्षेत्रफल** 762.922 वर्गफीट अर्थात् 84.769 वर्गगज या 70.88 वर्गमीटर एवं **व्यावसायिक क्षेत्रफल** 157.582 वर्गफीट अर्थात् 17.509 वर्गगज या 14.64 वर्गमीटर होगा।	**पूर्व में :** आम रास्ता 26.5 फीट चौड़ा **पश्चिम में :** गली 26.5 फीट चौड़ी **उत्तर में :** 20 फीट चौड़ा नाला **दक्षिण में :** उपविभाजित भूखण्ड संख्या 328 का पार्ट-बी
द्वितीय	328 (पार्ट-बी)	**आवासीय क्षेत्रफल** 530.398 वर्गफीट अर्थात् 58.933 वर्गगज या 49.28 वर्गमीटर एवं **व्यावसायिक क्षेत्रफल** 191.858 वर्गफीट अर्थात् 21.32 वर्गगज या 17.82 वर्गमीटर होगा।	**पूर्व में :** आम रास्ता 26.5 फीट चौड़ा **पश्चिम में :** गली 26.5 फीट चौड़ी **उत्तर में :** उपविभाजित भूखण्ड संख्या 328 का पार्ट-ए **दक्षिण में :** आम रास्ता 25 फीट चौड़ा

अत: उक्त भूखण्ड का उपविभाजन प्रस्तुत उपविभाजन प्लान एवं उपरोक्त विवरण अनुसार स्वीकृत किये जाने में किसी भी व्यक्ति / विभाग / संस्था / बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।
(मुकेश नागर) अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक : ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/1397 दिनांक : 06.05.2025

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गगन सपरा पुत्र श्री जगन्नाथ सपरा निवासी आवास संख्या ए-618, आर.के. पुरम्, कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 414, शास्त्री नगर दादाबाड़ी, कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट का आवसीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 414, शास्त्री नगर दादाबाडी, कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट का स्वामित्व कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक LSG/KOTA SOUTH/MUT/2021-22/12998 दिनांक 16.11.2021 से श्री गगन सपरा पुत्र श्री जगन्नाथ सपरा के नाम हस्तांतरित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, जोन प्रथम, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/200 **विज्ञप्ति** दिनांक:-6.5.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में स्थित कृषि भूमि योजना विध्या सागर नगर खसरा नं. 39 में स्थित भूखंड संख्या 181 आवेदक/आवेदिका श्रीमती माया बाई पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार निवासी संजय नगर गली नं. 1 शमशान रोड कोटा जं. कोटा राज. द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह तथ्य सामने आये है कि खातेदार रामकिशन, उदयलाल, देवलाल पिस. घूल्या एवं सुल्तान बाई बेवा घूल्या द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 20.11.1991 से संजीव कुमार पुत्र श्री निर्मल कुमार को किया गया। क्रेता संजीव कुमार द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 19.09.2015 को मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री छोटे मोहम्मद को बैचान किया गया। क्रेता मोहम्मद हुसैन द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 17.11.2015 योगेन्द्र सिंह राघव पुत्र श्री राजपाल सिंह राघव को किया गया। क्रेता योगेन्द्र सिंह राघव द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 19.01.2019 को लीला बाई पत्नी श्री रमेश चन्द खींची को किया गया। क्रेता लीला बाई द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 19.01.2019 को योगेन्द्र सिंह राघव पुत्र श्री राजपाल सिंह राघव को किया गया। क्रेता योगेन्द्र सिंह राघव द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 11.08.2021 से सत्तार पुत्र श्री शाहबुद्दीन को किया गया। क्रेता सत्तार द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 12.02.2024 को राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्लू लाल को किया गया। क्रेता राजेन्द्र कुमार द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 22.05.2024 को आवेदिका माया बाई पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को किया गया। उपरोक्त इकरारनामा आवेदिका के पास उपलब्ध नहीं है। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 03.03.2025 को ऑन लाईन दर्ज करवाई गई है तथा समाचार पत्र राष्ट्रदूत में खोया-पाया में भी विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है।

अत: दस्तावेजों के अभाव में श्रीमती माया बाई पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3668 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 30.9.24

आवास संख्या 2-ज-12 केशवपुरा कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रघुनाथ प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री गुडकीलाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती भूली बाई पत्नी श्री सत्यनारायण चौधरी के नाम दिनांक 25.09.2001 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती भूली बाई पत्नी श्री सत्यनारायण चौधरी के नाम दिनांक 31.12.2001 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती भूली बाई पत्नी श्री सत्यनारायण चौधरी की मृत्यु दिनांक 09.01.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र एवं श्री संजय चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 22.06.2021 को श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी एवं श्री अजय चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी के पक्ष में संयुक्त रुप से किया गया। श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी एवं श्री अजय चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-ज-12 केशवपुरा कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर संयुक्त रुप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी एवं श्री अजय चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी एवं श्री अजय चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी एवं श्री अजय चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा